फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **भैरूलाल खटीक**
किस्म मुकदमा :– O47R1 CPC

विपक्षी :– **नवलराम**
पत्रावली संख्या :– **21/21 वाद**
जीसीएमएस नम्बर :– **2021/149**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 11.07.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सीपीसी एवं आदेश 47 नियम 1 जा.दी. निर्णय एवं डिक्री 14.10.2020 के विरूद्ध पेश किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि सेग्रीगेशन की जमाबंदी में विपक्षी संख्या 12 का नाम अंकन होना सेहवन से रह गया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा वाद बंटवाड़े हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गई। यदि प्रार्थी द्वारा बताई गई त्रुटि सेग्रीगेशन के दौरान हुई है तो इस संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना चहिए था। साथ ही न्यायालय का मानना है कि प्रार्थी स्वयं के कथनानुसार विपक्षी संख्या 12 द्वारा भूमि का क्रय विपक्षी संख्या 1, 3, 5 से किया गया है। जबकि न्यायालय हाजा में प्रकरण बंटवाड़े का था। बंटवाड़े के प्रकरण में घोषणा नही दी जा सकती है उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी अपने नामान्तरकरण पारित करवाकर दर्ज करावे या घोषणा का वाद प्रस्तुत कर करावें। न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतिम डिक्री में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही हुई है। विपक्षी संख्या 12 द्वारा इस प्रार्थना पत्र में काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया है। विपक्षीगण द्वारा भी वही अनुतोष चाहा गया है जो प्रार्थी द्वारा चाहा गया है। जिसका विवेचन किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 12 का काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाये जाते है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 जा.दी. एवं आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का एवं विपक्षी संख्या 12 का काउण्टर प्रार्थना पत्र मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Siriwi Punadia
Date: 2026.01.13 17:33:47 IST
Reason: SelfAttested